

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

दिनांक-.....

विषय :- जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष-2029 अन्तर्गत विषय शीर्ष-2802, संविदा सेवायें मद में वित्तीय वर्ष-2026-27 हेतु ₹4,99,26,457/- (चार करोड़ निन्यानवे लाख छब्बीस हजार चार सौ संतावन) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवायें से विकलनीय होगा।

3. जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का मानदेय भुगतान हेतु राशि ₹4,99,26,457/- (चार करोड़ निन्यानवे लाख छब्बीस हजार चार सौ संतावन) रुपये मात्र की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा-पर नियोजित कर्मियों के लिए ही भुगतान होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार से की जायेगी।

5. राशि की निकासी के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत्संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013, 2401, दिनांक-18.07.2007 एवं 1718, दिनांक-06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि से अंचल कार्यालयों एवं अन्य राजस्व कार्यालयों/भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

9. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

अनु० :- यथोक्त (अनुसूची-1)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(डॉ० महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

क०पू०उ०

ई-मेल

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था संविदा (आवंटन)-16-01/2023-.....(4)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, सहरसा एवं नालंदा/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विभागीय प्रशाखा-5 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नोट :-जिलों से प्राप्त अधियाचित राशि का 50 (पचास) प्रतिशत राशि की स्वीकृति दी गयी है।

अनु0-यथोक्त (अनुसूची-1)

ह0/-
(डॉ० महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था संविदा (आवंटन)-16-10/2023-308 (4)/रा0, पटना-15, दिनांक-16/7/26

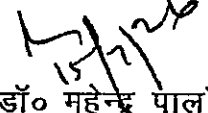
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु० :-यथोक्त (अनुसूची-1)

16/7/26
(डॉ० महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची-1

क्र.	जिला	अंचल/अन्य राजस्व कार्यालयों हेतु
1	पूर्वी चम्पारण	1,92,26,008 / - (एक करोड़ बेरानवे लाख छब्बीस लाख आठ रुपये)
2	सहरसा	1,26,82,788 / - (एक करोड़ छब्बीस लाख बेरासी हजार सात सौ अठासी रुपये)
3	नालंदा	1,80,17,661 / - (एक करोड़ अस्सी लाख सतरह हजार छः सौ इक्सठ रुपये)
कुल-		₹4,99,26,457 / - (चार करोड़ निन्यानवे लाख छब्बीस हजार चार सौ संतावन रुपये)


(डॉ० महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।